राजस्व अपील संख्या– 07/2024
उनवान – प्यार बाई बनाम ग्राम पंचायत पनोरिया वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 07/2024
राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
1. प्यार बाई चिमनदान पत्नी खेतदान जाति चारण, निवासी सुहागी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. ग्राम पंचायत पनोरिया जरिए सरपंच मालाराम, पुत्र मंगलाराम, जाति विश्नोई, निवासी चितरड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 2. कैलाशदान पुत्र चिमदान 3. गणेशदान पुत्र चिमनदान 4. जबरदान पुत्र चिमनदान 5. तगीदान पुत्र चिमनदान 6. भंवरदान पुत्र चिमनदान 7. वक्तदान पुत्र चिमनदान 8. चंदनाराम पुत्र जीवनराम जाति चारण, निवासी पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 9. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित : **अपीलान्ट वकील** : श्री श्रीराम विश्नोई

–: आदेश :–

दिनांक 21/07/2025

अपीलांट की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 7 के पिता स्व. चिमनदान की खातेदारी के खेत मौजा पनोरिया पटवार हल्का पनोरिया भू.अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 911/704 रकबा 10.3842 हैक्टैयर, एवं खसरा संख्या 711/427 रकबा 5.1395 हैक्टेयर किस्म बा.सो. के आए हुए थे वर्तमान में उक्त खसरे उतरदातागण संख्या 2 से 7 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। मौजा पनोरिया पटवार हल्का पनोरिया भू.अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 911/704 रकबा 10.3842 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 711/427 रकबा 5.1395 हैक्टैयर किस्म बा0सो0 भूमि में अपीलांट के पिता चिमनदान की फौतगी का नामान्तरण संख्या 1435 जो ग्राम पंचायत पनोरिया द्वारा दिनांक 20.07.2023 को पारित किया गया। अपीलांट अपने पिता चिमनदान की जायन्दा पुत्री होने से अपीलांट के पिता मृत्यु का नामान्तरकरण अपीलांट एवं उनके भाई उतरदातागण संख्या 02 से 07 के नाम खोलना था किन्तु उतरदातागण संख्या 2 से 7 एवं राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर स्वर्गीय चिमनदान का फौतगी का नामांतरण केवल उतरदातागण संख्या 2 से 7 ने अपने नाम पारित करवा दिया तथा इसी खबर अपीलांट को नहीं होने दी। अपीलांट स्व. चिमनदान की जायन्दा पुत्री है, तथा वादग्रस्त भूमि में अपीलांट व उतरदातागण संख्या 2 से 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है तथा इसी हिस्सा अनुसार अपीलांटगण का मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलांट [illegible] चिमनदान की जायन्दा पुत्री है तथा स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

चिमनदान की सम्पूर्ण जायदाद पर उनका हक बनता है इसलिए वादग्रस्त भूमि जो स्व0 चिमनदान की खातेदारी में दर्ज थी उस पर अपीलांट का भी अपने भाईयों के बराबर हक बनता है किन्तु ग्राम पंचायत पनोरिया के सरपंच ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण पारित करते समय उतरदाता संख्या 2 से 7 के साथ मिलकर जानबुझकर अपीलांट को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की नियत से उतरदाता संख्या 2 से 7 के नाम से नामान्तरकरण पारित किया है जो अपीलांट के खातेदारी हक हकूकों के लिए के प्रारम्भ से शून्य है। मौजा पनोरिया पटवार हल्का पनोरिया भू. अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 911/704 रकबा 10.3842 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 711/427 रकबा 5.1395 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या 1435 जो दिनांक 20.07.2023 को पारित किया गया वो निम्न आधारों पर खारिज करने योग्य है। कि ग्राम पंचायत पनोरिया ने म्यूटेशन संख्या 1435 पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया और न ही स्व. चिमनदान के विधिक वारिशान की जांच की, इस कारण अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी इस प्रकार ग्राम पंचायत पनोरिया द्वारा पारित नामान्तरकरण अपीलांट के हितों के प्रति निष्प्रभावी है, जो निरस्त करने योग्य है। अपीलांट साधारण व कानून से अनभिज्ञ ग्रामीण महिलाऐं, जिसको नामान्तरकरण संख्या 1435 जो दिनांक 20.07.223 को पारित किया गया था, उसका कोई ज्ञान नहीं था। नामान्तरकरण संख्या 1435 के पारित होने बाद आज से 1 रोज पूर्व जब उतरदाता संख्या 2 से 7 ने जमीन बेचान करने की धमकियां दी तथा कुछ संयुक्त हिस्से की भूमि का बैचान किया और कहा कि तुम्हारा नाम इस जमीन में नहीं है, तब अपीलांट द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी निकाली तब पता चला की अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं है तब अपीलांट ने ई—मित्र से दिनांक 25.07.2024 को नकलें मांगी जो उसी दिनांक 25.07.2024 को ऑनलाईन नामांतरण की नकले प्राप्त हुई, उस प्रकार अपीलांटा को उक्त नामान्तरकरण का सर्वप्रथम पूर्ण ज्ञान दिनांक 25.07.2024 को हुआ कि उनके नाम नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ है, इससे पूर्व उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उक्त नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अपील अपीलांटा स्वीकार फरमाई जाकर मौजा पनोरिया पटवार हल्का पनोरिया भू.अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 911/704 रकबा 10.3842 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 711/427 रकबा 5.1395 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 1435 जो मौजा पनोरिया पटवार हल्का पनोरिया भू. अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

खेत खसरा संख्या 911/704 रकबा 10.3842 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 711/427 रकबा 5.1395 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में उतरदातागण के नाम स्व. चिमनदान की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में 6/7 एवं अपीलांट के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर उतरदातागण को सम्मन तलब किये गये। उतरदातागण के समन्न तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

अपीलांट वकील उपस्थित। अपीलांटा वकील ने उक्त अपील पर बहस सुनने का निवेदन किया। अपीलांट वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गय अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को गहराई से परीक्षण करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रार्थान पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित नामान्तरण को नये सिरे से हितबद्व व्यक्तियों को सूचित करते हुए विधिक वारिशानों का विधिक विश्लेषण करते हुए नामान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार की जावें।

अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की स्वीकार की जाती है <u>तहसीलदार सेड़वा को आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1435 दिनांक 20.07.2023 में समस्त दस्तावेजों एवं विधिक वारिसान को विधि सम्मत विश्लेषण एवं सुनवाई करने के पश्चात विधिपूर्वक नामान्तरकरण की कार्रवाई की जावें।</u> पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा — seal)

(बद्रीनारायण विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा — stamp)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested